5,700 थी। राज्य सरकार के अधिकारियों ने मदों के लिए दरें निर्धारित की थी। बैंकों की यह जिम्मेदारी थी कि वे लाभार्थी के साथ परामर्श करें और उपकरणों की सप्लाई के लिए उपयुक्त व्यवस्था करें। बैंकरों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की मार्फत सबसिडी उपलब्ध कराई गई थी। हरिजन/आदिवासी परिवारों को सप्लाई किए गए पम्प सेटों की अलग से मानीटरिंग नहीं की गयी थी।

(ख) प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने भी इन मामलों की जांच की है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के निष्कर्ष राज्य सरकार को इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु भेज दिए गए है। बिहार राज्य सरकार ने सतर्कता विभाग द्वारा मामले की जांच करवाई है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में से ट्रल बैंक आफ इंडिया के छह अधिकारियों तथा कुछ बाहरी लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए है।

(ग) और (घ) ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण हुई क्षति

258. **श्री रामनरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1979 में उत्तर प्रदेश को सूखे के कारण कितने रुपये की क्षति हुई थी तथा रबी और अन्य फसलों के संबंधित प्रभावित क्षेत्र को कितने रुपये की क्षति हुई तथा केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार द्वारा की गई मांग तथा 1979 और 1987 के बीच सूखे से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को दी गई सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1987 में "सूखा राहत मद" के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी गई वित्तीय तथा अन्य सहायता का महीनेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा राहत कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी जिसके परिणामस्वरूप किसानों एवं गरीब लोगों को समुचित लाभ नहीं मिल पाया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Twelfth International Film Festival

259. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI KAPIL VERMA:
SHRI SOHAN LAL DHUSIYA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that China will form the theme of focus section of the Twelfth International Film Festival to be held in January next; if so, the reasons therefor: and

(b) the names of the films likely to be screened in this focus section alongwith their subject matter?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Yes, Sir. The International Film Festival of India (IFFI) pick up films from various regions/countries for particular attention. For the 12th International Film Festival of India, Chinese Cinema has been selected, the reason being the fast emergence of Chinese cinema on the International scene.

(b) The names of all films will be known only some time before the Festival *i.e.* around late December 1988, early January, 1989.

शाहबाद कोआपरेटिव शूगर मिल्स का स्थापित किया जाना

260. **श्री राम नरेश यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष हरियाणा में शाहबाद कोआपरेटिव शूगर मिल क सहायता के रूप में सरकार द्वारा कर्ज दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस कर्ज की शर्तें क्या थीं तथा कर्ज की धनराशि कितनी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि संस्थान के प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस सहायता धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) हरियाणा की शाहबाद सहकारी चीनी मिल को चीनी विकास निधि से गन्ने के विकास के लिए 171.75 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया गया है । इस ऋण की राशि का भुगतान 3 वार्षिक किस्तों में किया जाना है । इस ऋण पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष है । भुगतान करने में चूक करने की स्थिति में चीनी मिल को $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देना होगा । मूलधन पर 3 वर्ष के स्थगन काल के बाद 4 वार्षिक किस्तों में ऋण की राशि वापस करनी होगी । ब्याज की अदायगी हर वर्ष करनी होगी । चीनी मिल को राज्य सरकार को सूचना प्रस्तुत करनी होती है जिसे चीनी मिल द्वारा चलाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखनी होती है। हरियाणा सरकार दिए गए ऋण की समूची राशि और उस पर देय ब्याज के प्रति राज्य सरकार की जिम्मेदारी के लिए सहमत है । ऋण की दूसरी/बाद की किस्त राज्य सरकार से संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी। राज्य सरकार की गारन्टी पर 56.89 लाख रुपये की पहली किस्त मार्च, 1987 में जारी की गई थी ।

(ग) और (घ) योजना के अनुसार हरियाणा सरकार को चीनी विकास निधि की सहायता से चीनी मिल द्वारा चलाई गई योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखनी होती है । केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया था । तथापि, योजना के कार्यान्वयन और ऋण सहायता के उपयोग में कुछ अन्तर और कमियां पायी गई थीं और ये चीनी मिल और राज्य सरकारों को बतायी गई थीं । चीनी मिल ने विभिन्न अन्तर/कमियों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जिससे हरियाणा सरकार पूरी तरह संतुष्ट थी ।